

२२/२२

पत्रावली प्रेश हुई। वक्त अदालत बाट-
वण आवाज लगवाई गई। वकील अपीलान्त
निगशनीकर्ता या स्वयं निगशनीकर्ता
उपस्थित नहीं। वकील गैर निग भी उपस्थित
नहीं हुए। वकील निगशनीकर्ता या स्वयं
निगशनीकर्ता के उपस्थित नहीं होने के
कारण प्रकरण अदम हाजरी, अदम फरवी
में खारिज किया जाता ही पत्रावली दर्ज
नम्बर ८ से कम ही कादतकमाल कारिवाल
वपत ८ ही

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर